बकाया न चुकाने पर वेव और मोदी चीनी मिल पर कार्रवाई

गाजियाबाद/बुलंदशहर। गन्ना किसानों का 147 करोड़ से अधिक का बकाया भुगतान न करने पर गाजियाबाद प्रशासन ने मोदी चीनी मिल और बुलंदशहर ने वेव शुगर मिल पर कार्रवाई की है। दोनों मिलों का स्टॉक अटैच किया गया है। प्रशासन स्टॉक बेचकर किसानों का भुगतान करेगा। बुलंदशहर एसडीएम ने वेव चीनी मिल के जीएम कार्यालय के दस्तावेज को कब्जे में लेकर उस पर ताला लगवा दिया। बुलंदशहर एसडीएम सदर ने बताया कि 24 करोड़ का बकाया भुगतान न करने पर वेव मिल को पूर्व में आरसी जारी की गई थी। 22 दिसंबर को नोटिस भी दिया गया। 6 जनवरी तक भुगतान न करने पर सोमवार को वेव मिल के खिलाफ वारंट काटा गया। अधिकारी मिल में कुर्की के लिए पहुंचे। मिल में रखी 3.25 करोड़ की चीनी अटैच कर दी गई। उधर, मोदीनगर तहसील प्रशासन ने मोदी डिस्टिलरी (शराब फैक्ट्री) का स्टॉक अटैच किया है। मोदी समूह की सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली रेवलॉन कंपनी के उत्पाद भी सीज कर दी। मोदी मिल पर पिछले पेराई सत्र का करीब 123 करोड़ रुपये बकाया है। एसडीएम पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि 10 करोड़ की डिस्टलरी का स्टॉक बेचकर किसानों का भुगतान किया जाएगा। ब्यूरो

Amar Ujala
8/1/2019